

No.11024/05/2018-PMA
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya
Police Division-I
(PMA Cell)

New Delhi, Dated, the 02 March, 2022

To,

1. The Home Secretaries of all States/UTs
2. DsGP of all States/UTs
3. Directors-IB/CBI/SVPNPA/SPG/NEPA/NICFS/CFSL/DCPW
4. DsG-BSF/CRPF/ITBP/CISF/NSG/RPF/BPR&D/SSB/NCB/NDRF/Assam Rifles(Through LoAR) & NIA
5. Joint Secretary (Adm. CBIC), Ministry of Finance, Room No.155/c, North Block, New Delhi.

**Subject :Amendment in Standard Operating Procedure (SOP) for Award of
“Union Home Minister’s Special Operation Medal”**

Sir,

The undersigned is directed to refer to this Ministry’s letter No.11024/05/2018-PMA dated 14th August, 2020 on the subject cited above and to say that Para-2(i) and 5(a) amended vide above referred letter be substituted as under :

Para-2(i): To recognize only those operations, which have high degree of planning, high significance for the security of the country/ State/UT and have significant impact on security of large sections of the society. The award shall be considered for Special Operations in the areas such as counter terrorism, border action, arms control, left wing extremism, prevention of narcotics smuggling and rescue operations”. Moreover, in addition to police personnel, personnel of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) may also be considered for award under the area “Prevention of narcotics smuggling”.

Para-5(a) : Only successful conduct of those operations which have high degree of planning, high significance for the security of the country/ State/UT and have significant impact on security of large sections of the society. The award shall be considered for Special Operations in the areas such as counter terrorism, border action, arms control, left wing extremism, prevention of narcotics smuggling and rescue operations”. Moreover, in addition to police personnel, personnel of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) may also be considered for award under the area “Prevention of narcotics smuggling”.


(Rakesh Kumar Singh)

Joint Secretary to the Government of India

फा. सं.11024/05/2018-पीएमए
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पुलिस प्रभाग-I: पीएमए सेल)

नई दिल्ली 02 मार्च, 2022

सेवा में,

1. सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव।
2. सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक।
3. निदेशक- आईबी/सीबीआई/एसपीएनपीए/एसपीजी/नेपा/
एनआईसीएफएस/सीफएसएल/डीसीपीडब्ल्यू।
4. महानिदेशक- बीएसएफ/सीआरपीएफ/आईटीबीपी/सीआईएसएफ/एनएसजी/
आरपीएफ/बीपीआर और डी/एसएसबी/एनसीबी/एनडीआरएफ/असम राइफल्स और
एन आईए।
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय, कमरा संख्या 155/सी, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।


विषय : केन्द्रीय गृह मंत्री के विशेष आपरेशन पदक के पुरस्कार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के पत्र सं० 1024/05/2018-पीएमए दिनांक 14 अगस्त, 2020 को संदर्भित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो उपरोक्त दिए गए विषय पर कहा गया है, कि पैरा- 2(i) और 5 (क), को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

पैरा-2 (i) : केवल उन परिचालनों को पहचानने के लिए, जिनमें उच्च स्तर की योजना, देश/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए उच्च महत्व और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो। विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म, बार्डर एक्शन, आर्म्स नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद, नशीली पदार्थों की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत पुलिस के अलावा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर्मियों को भी यह पदक प्रदान किया जा सकता है।

लगातार पृष्ठ2/-

पैरा-5 (a): केवल उन परिचालनों का सफल संचालन, जिनमें उच्च स्तर की योजना, देश/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए उच्च महत्व है और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म, बार्डर एक्शन, आर्म्स नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद, नशीली पदार्थों की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत पुलिस के अलावा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर्मियों को भी यह पदक प्रदान किया जा सकता है।



(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233802
CG-DL-E-02032022-233802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

फा. सं. 11024/05/2018-पीएमए.—केन्द्रीय गृह मंत्री के विशेष आपरेशन मेडल से संबंधित विधियों के “तीसरे” के अनुसार मौजूदा पैरा थर्डली जो इस मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए।

“यह पदक केवल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों, सीपीओ/सीएपीएफ और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों द्वारा विशेष अभियानों के सफल संचालन पर प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी तैनाती के दौरान भारत के भीतर अथवा देश के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भाग लिया हो। विशेष आपरेशन केवल वे आपरेशन हैं, जिसमें उच्च स्तर की योजना, देश/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा का उच्च महत्व और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो। विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म, बार्डर एक्शन, आर्म्स नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद, नशीली पदार्थों की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत पुलिस के अलावा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर्मियों को भी यह पदक प्रदान किया जा सकता है।

राकेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

F. No. 11024/05/2018-PMA.—In accordance with Statutes “Thirdly” of the Statutes relating to UNION HOME MINISTER’S SPECIAL OPERATION MEDAL, the existing Para Thirdly amended vide this Ministry’s Notification dated 14th August, 2020 be substituted as under:

“The Medal shall only be awarded on successful conduct of special operations by members of State/UT Police Forces, CPOs/CAPF and Security organizations within the territory of India or outside the country during their posting on deputation to Ministry of External Affairs. Special Operation shall only be those operations which have high degree of planning, high significance for the security of the country/ State/UT and have significant impact on security of large sections of the society. The award shall be considered for Special Operations in the areas such as counter terrorism, border action, arms control, left wing extremism, prevention of narcotics smuggling and rescue operations”. Moreover, in addition to police personnel, personnel of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) may also be considered for award under the area “Prevention of narcotics smuggling”.

RAKESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

फा. सं. 11024/05/2018-पीएमए.—केन्द्रीय गृह मंत्री के विशेष आपरेशन मेडल से संबंधित नियम के “पहला” के अनुसार मौजूदा पैरा- 1 जो इस मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए।

पैरा- 1

यह पदक केवल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों, सीपीओ/सीएपीएफ और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों द्वारा विशेष अभियानों के सफल संचालन पर प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी तैनाती के दौरान भारत के भीतर अथवा देश के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भाग लिया हो। विशेष आपरेशन केवल वे आपरेशन हैं, जिसमें उच्च स्तर की योजना, देश/राज्य /केन्द्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा का उच्च महत्व और समाज के बड़े हिस्से की सुरक्षा पर जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो। विशेष अभियान का यह पुरस्कार काउंटर टेररिज्म, बार्डर एक्शन, आर्म्स नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद, नशीली पदार्थों की तस्करी रोकना और बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत पुलिस के अलावा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर्मियों को भी यह पदक प्रदान किया जा सकता है।

राकेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

F. No. 11024/05/2018-PMA.—In accordance with Rules “1” of the Rules relating to UNION HOME MINISTER’S SPECIAL OPERATION MEDAL, the existing Para-1 amended vide this Ministry’s Notification dated 14th August, 2020 be substituted as under:

Para-1 : The Medal shall only be awarded on successful conduct of special operations by members of State/UT Police Forces, CPOs/CAPF and Security organizations within the territory of India or outside the country during their posting on deputation to Ministry of External Affairs. Special Operation shall only be those operations which have high degree of planning, high significance for the security of the country/ State/UT and have significant impact on security of large sections of the society. The award shall be considered for Special Operations in the areas such as counter terrorism, border action, arms control, left wing extremism, prevention of narcotics smuggling and rescue operations". Moreover, in addition to police personnel, personnel of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) may also be considered for award under the area "Prevention of narcotics smuggling".

RAKESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.